लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल–462023

क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2024/86 भोपाल, दिनांक 5/6/2024

प्रति

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2024–25 में विद्यालयों में रिक्त पद के विरूद्ध अतिथि शिक्षक के लिये नवीन आवेदकों का पंजीयन एवं पूर्व पंजीकृत आवेदकों की जानकारी का अद्यतन।

उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु शासकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है। उक्त परिपेक्ष्य में नवीन आवेदक जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक है, ऐसे आवेदक GFMS पोर्टल पर नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदक निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायें–

1. नवीन आवेदकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण हेतु की जाने वाली कार्यवाहीः–

1.1 नवीन पंजीयन हेतु आवेदक लिंक **https://www.gfms.mp.gov.in** के माध्यम से पंजीकरण कर सकते है।

1.2 आधार ई–केवाईसी करें।

1.3 शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता की जानकारी दर्ज कर परीक्षण कर अपडेट करें।

1.4 म.प्र.शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज कर अपडेट करें।

1.5 पंजीकरण में दर्ज समस्त योग्यताओं की मूल अंकसूची लेकर संकुल प्राचार्य से आवेदन को ऑनलाईन सत्यापन करायें।

1.6 संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन सत्यापन उपरांत स्कोर कार्ड जनरेट होगा।

2. पूर्व से पंजीकृत आवेदक द्वारा पोर्टल पर जानकारी अद्यतन हेतु की जाने वाली कार्यवाहीः–

2.1 पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को पुनः पंजीयन करने की आवश्यकता नही है।

2.3 नवीन शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता दर्ज करने हेतु प्रोफाईल अनलॉक करें।

2.2 नवीन शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता की जानकारी अपडेट/संशोधन करे।

2.3 आवेदक द्वारा योग्यताओं के अपडेशन/संशोधन करने के उपरांत संकुल प्राचार्य से ऑनलाईन सत्यापन कार्य कराये।

3. संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

3.1 आवेदकों द्वारा आवेदन में दर्ज समस्त योग्यताओं का मूल दस्तावेजों से मिलान कर जानकारी सत्य पाये जाने पर पोर्टल से ऑनलाईन सत्यापन का कार्य करें।

3.2 आवेदन सत्यापन उपरांत आवेदक को प्रिंट निकालकर दिया जायें।

3.3 आवेदन में दर्ज किये गये दस्तावेजों की छायाप्रति अभिलेख में संधारित करें।

Scanned with ACE Scanner

नवीन पंजीयन हेतु स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार करें, जिससें अधिक से अधिक संख्या में आवेदन का पजीकरण हो। पंजीयन का मैन्युअल पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही दिनांक 15.06.2024 तक करना सुनिश्चित करें।

(डी.एस.कुशवाह)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 5/6/2024

पृ. क्र. / अतिथि शिक्षक / 2024 / 87
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
3. आयुक्त जनजातीय कार्य सतपुडा भवन भोपाल।
4. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
5. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
7. उप संचालक एम.पी.एस.ई.डी.सी.आईटी भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Scanned with ACE Scanner